संख्या– / II–2–2020–04(03)/2018

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सिंचाई अनुभाग–02 देहरादून : दिनांक 13 मार्च, 2020

विषयः **वित्तीय वर्ष 2019–20 में नाबार्ड द्वारा RIDF - XXV के अन्तर्गत नव स्वीकृत नहर निर्माण एवं बाढ़ सुरक्षा योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1903/मु0अ0वि0/बजट/बी–1 (नाबार्ड), दिनांक 04.02.2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नाबार्ड द्वारा स्वीकृत **संलग्नक–2** में उल्लिखित विवरणानुसार नहर निर्माण एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य योजनाओं की कुल लागत रू0 1265.98 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 2.00 लाख (रू0 दो लाख मात्र) की धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) उक्त धनराशि का आहरण व व्यय तभी किया जायेगा, जब विभाग द्वारा नाबार्ड से RIDF XXIIIL से XXV के अन्तर्गत योजनाओं को पूर्ण किये जाने की अवधि के विस्तार सम्बन्धी स्वीकृति तथा प्रतिपूर्ति दावों को प्रस्तुत करने के साथ नाबार्ड की स्वीकृति भी प्राप्त करेंगे।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं निर्माण कार्य की त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति वित्त विभाग एवं नाबार्ड को भी उपलबध कराई जाय।

(iii) उक्त धनराशि का उपयोग नाबार्ड की गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यकता एवं मितव्ययता का ध्यान रखते हुए किया जाय। साथ ही अधिप्राप्ति नियमावली एवं अन्य वित्तीय नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाय।

(iv) निर्माण कार्यों में भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

(v) आवश्यकतानुसार भूगर्भ वैज्ञानिक/ज्योलोजिस्ट से आवश्यक सहमति प्राप्त की जाय।

(vi) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारुप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार महालेखाकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(vii) धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकता से अधिक किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

(viii) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजनायें नाबार्ड द्वारा पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी हैं। यदि बिना अनुमोदित योजना पर धनराशि व्यय की जायेगी तो उसका समस्त उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का ही होगा।

(ix) कार्य की गुणवत्ता समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।

(x) विभागाध्यक्ष के निस्तारण पर जो धनराशि रखी जा रही है वह उनके द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

क्रमशः...............02

(xi) मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण प्रतिमाह बी0एम0—10 पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(xii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2020 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

(xiii) धनराशि आहरण सी0सी0एल0 हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।

(xiv) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—254 / 3(150)—2017 / XXVII (1) / 2019, दिनांक 29 मार्च, 2019 में दिये गए दिशा—निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाय।

(xv) उल्लिखित कार्यों / योजनाओं के आगणनों में स्वीकृत डिजाईन / मानक एवं दरों तथा निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत होने पर ही स्वीकृत धनराशि को व्यय किया जायेगा।

इस सम्बन्ध मे होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019—20 के आय—व्ययक की अनुदान संख्या 20 के अन्तर्गत संलग्नक—1 में उल्लिखित लेखाशीर्षको की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या—238 / XXVII/(2)-2020, दिनांक 13 मार्च, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न—यथोक्त।

भवदीया,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्या— 345 (1) / II-2-2020—04(03) / 2018, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी—1 / 105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) महालेखाकार भवन, कौलागढ, देहरादून।
3. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. वित्त अनुभाग—1 एवं वित्त अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

संलग्न—यथोक्त।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव।

क्रमशः..............03

संलग्नक—1

शासनादेश संख्या — 345 / 11—2—2020—04(03)/2018, दिनांक 13 मार्च, 2020 का संलग्नक

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0स0	अनुदान संख्या/लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष 2019—20 में प्राविधानित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2019—20 में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—06—निर्माणाधीन सिंचाई नहरें/अन्य योजनायें—051—निर्माण—98—नाबार्ड पोषित—01— नहरों का निर्माण—24—वृहद निर्माण कार्य।	13000.00	1.00
2	4711—बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय—01— बाढ़ नियंत्रण—051—निर्माण—98—नाबार्ड पोषित—01—बाढ़ नियंत्रण कार्य—24—वृहद निर्माण कार्य।	7500.00	1.00
	योग	**20500.00**	**2.00**

(रू0 दो लाख मात्र)

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव।

क्रमशः...............04

LETTER 2018-19.docx 13 dox

संलग्नक—2

शासनादेश संख्या 345 /II—2—2020—04(03)/2018, दिनांक 13 मार्च, 2020 का संलग्नक

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रं0 सं0	योजना का नाम	योजना की लागत	नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण की धनराशि	वित्तीय वर्ष 2019—20 में मोबलाईजेशन की अवमुक्त की जा रही धनराशि
	RIDF-XXV			
	नहर निर्माण			
01	जनपद देहरादून के विकासनगर विकासखण्ड में क्षतिग्रस्त नहरों/गूलों के पुनर्निर्माण एवं कच्ची गूलों को पक्का करने की योजना भाग—1(कटापत्थर, पृथ्वीपुर, जामनखता, लाखनवाला, तेलपुरा, टी—कट एवं लांघा पसोली नहरों के कलावें)। **(घोषणा संख्या 310/2019)**	466.87	443.54	0.50
02	जनपद देहरादून के विकासनगर विकास खण्ड में तेलपुरा नहर के आधुनिकीकरण एवं नवीनकरण की योजना।	156.55	148.72	0.50
	योग नहर निर्माण	**623.42**	**592.26**	**1.00**
	बाढ़ सुरक्षा			
01	जनपद देहरादून के विकासनगर विकासखण्ड में विभिन्न आबादी क्षेत्रों की जल निकासी एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य। भाग—1 (उदियाबाग, करोंदी नाला एवं ग्राम जपनीपुर तप्पड की जल निकासी योजना) की योजना **(घोषणा संख्या 311/2019)**	472.27	448.66	0.50
02	जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत सांसद आदर्श ग्राम लामबगड़ का बाढ़ सुरक्षा कार्य। **(घोषणा संख्या 358/2019)**	170.29	161.77	0.50
	योग बाढ़ सुरक्षा निर्माण	**642.56**	**610.43**	**1.00**
	कुल योग	**1265.98**	**1202.69**	**2.00**

(रू0 दो लाख मात्र)

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव।